न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 144/2017 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी खेमराज जी चमार (मेघवाल), निवासी गोवला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती दोली पुत्री भीमा जी मेघवाल पत्नी रामा जी मेघवाल (मृतक) के बजाय :–

1/1. बाबूलाल पिता रामा जी मेघवाल, निवासी डांगियान का टूस, तहसील वल्लभगनर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती लेहरी बाई पत्नी मांगीलाल जी मेघवाल, निवासी मजावड़ा, तहसील वल्लभगनर, जिला उदयपुर (राज.)

2. भेरूलाल पिता गमाना जी सालवी, निवासी गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 10.05.2017 प्र.सं. 163/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री आ ीश मारू अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय दिनांक 14–12–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोवला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित परिशि ष्ठ ''क'' की आराजी नंबर 65 रकबा 0.0100 हैक्टर स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार परिशि ष्ठ ''ख'' की आराजी नंबर 15 व 16 कुल किता 2 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा अंकित है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 में ग्राम बिछड़ी की आराजी नंबर 179, 198, 199, 206, 207, 208, 209 कुल किता 7 रकबा 0.3250 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित है। उपरोक्त कलम संख्या 1 में वर्णित परिशि ष्ठ ''क'' की आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा, परिशि ष्ठ ''ख'' की आराजियात का 1/2 हिस्सा एवं कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात का सम्पूर्ण हिस्सा पूर्व में श्री भीमा पिता भग्गा [illegible] के खातेदारी में दर्ज था, जिसके विधिक वारिस उसकी पत्नी लाडू बाई, पुत्र देवा व पुत्री दोली बाई प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:55 IST
Reason: SelfAttested

1 हुई। देवा के लाऔलाद फोत होने से भीमा के विधिक वारिस उसकी पत्नी लादू बाई व पुत्री दोली बाई ही है। भीमा के मृत्यु दिनांक 24–04–1983 को होकर उसके खातेदारी अधिकारों की उपरोक्त कलम संख्या 1 में वर्णित परि ाश्ठ ''क'' की आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा, परि ाश्ठ ''ख'' की आराजियात का 1/2 हिस्सा एवं कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात का सम्पूर्ण हिस्सा उनके दोनों वारिसान उसकी पत्नी लादूडी व पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 में बराबर हिस्से से निहित हुई। वादिया सुन्दरबाई स्वर्गीय भीमा के भाई भेरा जी की पौत्र वधु है। भीमा एवं लादूडी की कोई पुत्र संतान नहीं होने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 की भाादी हो जाने से लादूडी की सेवा–चाकरी वादिया एवं उसके पति खेमराज ने की, जिससे प्रसन्न होकर लादूडी बाई ने उपरोक्त कलम संख्या 1 में वर्णित परि ाश्ठ ''क'' की आराजी का सम्पूर्ण आराजी, परि ाश्ठ ''ख'' की आराजियात का 1/2 हिस्सा एवं कलम संख्या 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात वादिया को वसीयत कर दिनांक 25–08–2001 को वसीयत निश्पादित कर नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवा दी, तत्प चात वर्श 2002 में लादूडी का स्वर्गवास हो गया तब से वादिया उक्त उपरोक्त कलम संख्या 1 में वर्णित परि ाश्ठ ''क'' की आराजी के 1/2 हिस्सानुसार, परि ाश्ठ ''ख'' की आराजियात में 1/4 हिस्सानुसार एवं कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सानुसार खातेदार का तकार होकर आधिपत्यधारी है। इस प्रकार परि ाश्ठ ''ख'' वर्णित आराजियातय में वादिया का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा हुआ, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने परि ाश्ठ ''ख'' की आराजियात का 1/ हिस्सा उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का नुमाई ाी विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया, जो वादिया के मुकाबले भून्य प्रभावी होकर बेअसर है, जबकि मौके पर वादिया का कब्जा उसके हिस्सानुसार है। वादिया अनपढ़ महिला होने से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाई, किन्तु मौके पर उसका कब्जा आज भी है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से वादिया को जबरन बेदखल करना चाहते हैं तथा भूमाफियाओं को विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परि ाश्ठ ''क'' की आराजी का 1/2 हिस्सा, परि ाश्ठ ''ख'' की आराजियात का 1/4 हिस्सा एवं कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से का वादिया को खातेदार का तकार घोशित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–05–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/वादीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:55 IST
Reason: SelfAttested

कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभपपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने उसका वाद खारिज कर दिया, जिससे उन्हें अधिनस्थ न्यायालय निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने न ही साक्ष्यों का अवलोकन किया, न ही पक्षकारों की बहस सुनी, केवल मात्र लोक अदालतों में निर्णित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के उद्दे य से अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जबकि प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर एवं उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाशक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि वादीया के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर, तत्प चात उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर प्रकरण राजस्व कैम्प में नियत दिनांक से पूर्व ही रखकर पक्षकारों को बिना सुने मात्र वसीयत अनरजिस्टर्ड होने के आधार पर वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–05–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्दे ों के साथ प्रतिप्रेशित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के अनुसार तनकियात कायम कर एवं उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:55 IST
Reason: SelfAttested

08–02–2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:55 IST
Reason: SelfAttested